MOEF EDS 03.09.2022

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक :- 864 /14-1 (FP/UP/Road/121197/2021)मुजफ्फरनगर दिनांक, 09.09.2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।

विषयः- चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष,मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एव 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ.सी./405 दिनांक-03.09.2022, इस कार्यालय का पत्रांक-797/14-1 दिनांक-07.09.2022 एवं अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड(बिल्डिंग), मेरठ का पत्रांक-208/1सी0 दिनांक-07.09.2022 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर का पत्रांक-902/13-1 दिनांक-08.09.2022 ।

महोदय,

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष,मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एव 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक- 03.09.2022 द्वारा कतिपय अभिलेखों/सूचनाओं की वांछना की गयी थी, जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण/लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड(बिल्डिंग), मेरठ द्वारा अपने संदर्भित पत्र दिनांक-07.09.2022 (बिन्दु संख्या-1 व 2) एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर द्वारा अपने संदर्भित पत्र दिनांक-08.09.2022 (बिन्दु संख्या-3) द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 03.09.2022 के क्रम निम्नानुसार सूचना / अभिलेख उपलब्ध कराये गये-

क्र0सं0	वांछित सूचना के बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	The alignment change as was proposed in this office letter dated 04.01.2022 is explained as " the alignment remains the same, it is just shifted by 7.5m along the canal " This needs to be further clarified	वांछित सूचना के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण/लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड(बिल्डिंग), मेरठ द्वारा अपने संदर्भित पत्र दिनांक-07.09.2022 (संलग्नक-1) द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 04.01.2022 का पत्र उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0 08 वी/यू0पी0/06/221/2021/ एफ0सी0 /433 दिनांक 06.10.2021 (संलग्नक-2) से प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रेषित किया था। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के पत्र सं0 2289/14-1 दिनॉक 11.12.2021 (संलग्नक-3) जो कि वन संरक्षक/ क्षेत्रीय निदेशक सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को किया गया एवं तत्क्रम में वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर द्वारा उनके पत्रांक-1523/14-10 (121197) दिनांक-11.12.2021 (संलग्नक-4) द्वारा उक्त को मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित किया गया, जिसके द्वारा संरेखण परिवर्तन प्रस्तावित किया गया था। प्रयोक्ता विभाग, लोक निर्माण विभाग की alignment change हेतु कोई सहमति नही ली गयी थी। उक्त Alignment change का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा Technically कारणों से feasible नही पाया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा परिवर्तित प्रस्ताव पर कभी भी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नही की गयी। लोक निर्माण विभाग द्वारा सिंचाई विभाग से प्राप्त NOC गंग नहर के समान्तर नहर की दांयी पटरी के डोला से 7.50 मी0 दूरी से संरेखण पर ही पातन हेतु वृक्षों की गणना वन विभाग से संयुक्त रूप से करवाई गयी। अतः स्पष्ट है कि मूल प्रस्ताव के संरेखण में कोई परिवर्तन नही हुआ है।
2	No change in tree felling is proposed as there is no change in alignment. However, this has to be ascertained in field as there is a shift of 4.5m	विषयक मार्ग के निर्माण कार्य हेतु मूल प्रस्तावित संरेखण अपर गंग नहर की दांयी पटरी पर डोला से 7.50 मी0 दूरी समान्तर दूरी छोडकर ही पातन होने वाले वृक्षों की गणना वन विभाग द्वारा की गयी थी। वर्तमान में उपरोक्तानुसार मूल संरेखण में कोई परिवर्तन नही होने के कारण वृक्षों के पातन की संख्या में कोई परिवर्तन नही है। (संलग्नक -1)
3	Revised forest boundary maps need to be provided to ascertain the status CA land as Non forest land.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर द्वारा अपने संदर्भित पत्र दिनांक-08.09.2022 द्वारा बिन्दु संख्या-3 का निराकरण कर संस्तुति सहित प्रेषित करतें हुए अवगत कराया गया है कि- 1- ग्राम धौजरी में विज्ञप्ति संख्या-2097/14 दिनांक-19.05.1954 में धारा-4 हेतु 1848.99 एकड वन भूमि प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष

		विज्ञप्ति संख्या–4665/1–2–20(55)–72 दिनांक–09.03.1973 के अनुसार उक्त सम्पूर्ण रकबा 1848.99 का धारा–20 हो चुका है एवं गाटा संख्या–303 रकबा 4.9360 है0 वन भूमि टेहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या–26/1 रकबा 30.20 है0 27/1 रकबा 90.50 है0 एवं 302/2 रकबा 2.240 है0 गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है परन्तु एस0ओ0आई0 टोपोशीट के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 2– ग्राम जाखलीन के वन्दगुढा आरक्षित वन क्षेत्र के विज्ञप्ति संख्या–2097/14 दिनांक–19.05.1954 के अन्तर्गत धारा–4 हेतु 1438.31 एकड प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या–23(4)–207/14–वी–60 दिनांक–24.09.1968 के अनुसार उक्त सपूर्ण रकबा 1430.31 एकड का धारा–20 हो चुका है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या–606 रकबा 20.30 है0 गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है परन्तु एस0ओ0आई टोपोशीट के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है; जो कि त्रुटिपूर्ण है। 3– ग्राम वघौरा में विज्ञप्ति संख्या–3445/14–732 दिनांक–04.08.1954 में धारा–4 हेतु 341.26 एकड प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या–23(4)–75/14–वी–68 दिनांक–24.05.1968 के अनुसार कुल रकबा 334.26 एकड़ का धारा–20 हो चुका है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या–810 मि0 रकबा है परन्तु एस0ओ0आई0 टोपोशीट के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। उक्त के अतिरिक्त प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि डा0 पी0 कुँवर, वैज्ञानिक एस0एफ0 एवं प्रभागाध्यक्ष वन संसाधन एवं पारिस्थितिकीय प्रभाग (रिमोट) सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0) से डिजीटल मैप उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु डिजीटल मैप अभी तक इस वन प्रभाग में प्राप्त नहीं हुए है। अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव को RAC से सम्मिलित करायें और डिजिटल मैप उपलब्ध होने के पश्चात आपको शीघ्र प्रेषित कर दिया जायेगा। (संलग्नक संख्या–5)

उपरोक्तानुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–03.09.2022 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण प्रयोक्ता अभिकरण/लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड(बिल्डिंग), मेरठ द्वारा अपने संदर्भित पत्र दिनांक–07.09.2022 (बिन्दु संख्या–1 व 2) एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर द्वारा अपने संदर्भित पत्र दिनांक–08.09.2022 (बिन्दु संख्या–3) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना 04 प्रतियों में आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त को नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

पत्रांक 864/14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ, गाजियाबाद, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर को उनके संदर्भित पत्र दिनांक–08.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड(बिल्डिंग), मेरठ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक–07.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–1,मुजफ्फरनगर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर